पहचान की प्रस्तावना

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 एवं राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के तहत राज्य में जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन का कार्य मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं निदेशक एवं संयुक्त सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी के निर्देशन में ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतों द्वारा तथा शहरी क्षेत्र में नगर निकायों द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा संस्थाओं (जिला चिकित्सालय,प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) को भी जन्म–मृत्यु पंजीयन के लिये अधिकृत किया गया है। इन संस्थाओं द्वारा रजिस्ट्रीकरण का कार्य मैन्युअल आधार पर किया जाता रहा है।

रजिस्ट्रीकरण के कार्य को आमजन के लिए अधिक सुगम बनाने, कार्य में पारदर्शिता लाने एवं समंकों के संकलन कार्य में गति लाने के उद्वेश्य से सम्पूर्ण कार्य को ऑनलाईन सम्पादित करने के लिए आयोजना विभाग व आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा नवाचार के रूप में वेबपोर्टल ''पहचान'' तैयार किया गया है।

इस वेबपोर्टल में ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के साथ–साथ कम्प्यूटरीकृत प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान किया गया है, जो आमजन के लिये उपयोगी सिद्व होगा। साथ ही कार्य की प्रभावी मॉनिटरिंग एवं समीक्षा की जाकर जिला व राज्य स्तर पर विभिन्न उपयोगी प्रतिवेदन त्वरित एवं सामयिक तैयार किये जा सकेंगे, जो योजना निर्माताओं, नीति निर्धारकों और शोधकर्ताओं की आवश्यकता की पूर्ति में अत्यन्त उपयोगी होंगे।